पत्रांकः1203/33–3–2013–48/2013

प्रेषक,

माजिद अली,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र , कासगंज एवं उन्नाव।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 0/मई 2013

विषय–पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के रू0 50,000 से अधिक के कार्यो को कराने हेतु निर्माण एजेन्सी का निर्धारण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 609/33–3– 2013–48 /2012 दिनांक 22.02.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके प्रस्तर 3–क(5) में निम्नलिखित प्राविधान किया गया है :–

"अपर मुख्य अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा ऐसे कार्य जो ग्राम पंचायत द्वारा स्वंय क्रियान्वित किये जाने हैं, उनकी धनराशि ग्राम पंचायत के खाते में कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के तत्काल बाद हस्तान्तरित कर दी जाएगी। धनराशि अवमुक्त करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्राक्कलन तैयार कराकर तकनीकी स्वीकृति सहित अपर मुख्य अधिकारी/नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। अपर मुख्य अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों को धन के हस्तान्तरण की सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी को भी दी जाएगी।"

2– उक्त प्रस्तर के सम्बन्ध में दिनांक 10.04.2013 को मा0 मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में अपर मुख्य अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायतों को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के प्राविधान के कारण पंचायतों को धन अवमुक्त करने में विलम्ब हो रहा है। यह सुझाव दिया गया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत हो जाने के उपरान्त धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दी जाए।

3– अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 22.02.2013 के प्रस्तर–3–क(5) को संशोधित करते हुए निम्नवत पढ़ा जाय :–

> 3–क (5) अपर मुख्य अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा ऐसे कार्य जो ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं क्रियान्वित किये जाने हैं, उनकी धनराशि ग्राम पंचायत के खाते में कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होंने के उपरान्त तत्काल हस्तान्तरित कर दी जायेगी । जिला पंचायतराज अधिकारी यह

सुनिश्चित करेंगे कि कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों एवं नागर निकायों के खाते में भी धनराशि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत होने के उपरान्त तत्काल हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

उक्त शासनादेश दिनांक 22.02.2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्ते एवं प्रावधान यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(माजिद अली)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 1203 / 33–3–2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव वित्त/नियोजन/नगर विकास, ग्राम्य विकास विभाग/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त बी0आर0जी0एफ0 मण्डल।
5. निदेशक पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक पंचायतीराज (लेखा) उ0प्र0 लखनऊ।
9. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 शासन।
10. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) बी0आर0जी0एफ0 मण्डल।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
12. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
13. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
14. पंचायतीराज अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
15. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(डी0के0सिंह)
विशेष सचिव।